सारण समाहरणालय,छपरा
(जिला स्थापना शाखा)
आदेश-....226..../2020

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा LPA No. 1489/2011 एवं Civil Review No. 344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP No. 32079/2015 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-945 दिनांक-27.04.2017 द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, जन शिक्षा सह अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-13/मु0 10-06/2010(अंश-IV) 421 दिनांक-25.02.2020 द्वारा सारण जिला में समूह-'घ' के पद पर समायोजन/ नियुक्ति हेतु प्राप्त कुल-12 पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों में से श्री राज नारायण यादव, पिता-श्री चन्देश्वर यादव, ग्राम-रामगढ़ा टोले मर्दनपुर, पो0-रामगढ़ा, थाना-दरौंदा, जिला-सिवान के द्वारा दाखिल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र को सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-121मु0 दिनांक-19.06.2020 द्वारा सचिव, बिहार संस्कत शिक्षा बोर्ड, पटना को भेजा गया था। निदेशानुसार उक्त व्यक्ति का उम्र क्षांत करने का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक-729 दिनांक-19.06.2020 द्वारा आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को भेजा गया था। इसी प्रकार, उक्त व्यक्ति द्वारा दाखिल जाति प्रमाण-पत्र को भी सत्यापन हेतु जिलाधिकारी, सिवान को इस कार्यालय के पत्रांक-122मु0 दिनांक-19.06.2020 द्वारा भेजा गया था।

उक्त संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना के पत्रांक-531 दिनांक-14.08.2020 द्वारा श्री राज नारायण यादव, पिता श्री चन्देश्वर यादव के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्राप्त है, जो कि सही पाया गया है। आयुक्त के सचिव, सारण प्रमंडल, छपरा के ज्ञापांक-956 दिनांक-11.07.2020 द्वारा उक्त पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक का समूह-'घ' के पद पर समायोजन हेतु अधिकतम उम्र सीमा क्षांत कर दी गई है। अपर समाहर्त्ता कृते जिलाधिकारी, सिवान के पत्रांक-30 दिनांक-23.07.2020 द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन भी प्राप्त हो चुका है, जो कि सही है।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-16371 दिनांक-03.12.2019 के द्वारा पूर्वोदाहरण नहीं माने जाने की शर्त पर आरक्षित वर्ग के अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन एकबारगी उपाय (One time measure) के रूप में गैर-आरक्षित वर्ग से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध करने का प्रावधान इस शर्त के साथ किया गया है कि भविष्य में संबंधित आरक्षित वर्ग में रिक्तियाँ प्राप्त होने पर उसे गैर-आरक्षित वर्ग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में **श्री राज नारायण यादव,** पिता-श्री चन्देश्वर यादव (पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक), ग्राम-रामगढ़ा टोले मर्दनपुर, पो0-रामगढ़ा, थाना-दरौंदा, जिला-सिवान, वास्तविक जाति/ कोटि- पिछड़ा वर्ग, को सारण समाहरणालय में कार्यालय परिचारी के स्वीकृत रोस्टर वर्ग-अनारक्षित कोटि के रिक्त पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल-1 (वेतनमान)-18000-56900 में नियुक्त करते हुए कार्यालय परिचारी संवर्ग में समायोजित किया जाता है तथा उनका पदस्थापन **अनुमंडल कार्यालय, सोनपुर** में किया जाता है। कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त/ समायोजित किये जाने वाले उक्त पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक पर राज्य में प्रवृत नई पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व की सेवा के आधार पर उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

उक्त नियुक्ति/ समायोजन की शर्तें निम्नवत् हैः-

1) नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नियुक्त/ समायोजित कार्यालय परिचारी अपने पदस्थापन कार्यालय में योगदान करेंगे। योगदान के समय निम्नांकित कागजात प्रस्तुत करना आवश्यक होगाः-

   (क) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रदत्त मूल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।

   (ख) परिवार नियोजन एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने/ देने का मूल शपथ-पत्र।

(ग) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19(1) के तहत विहित प्रपत्र में चल/ अचल सम्पत्ति का विवरण।

2) उक्त नियुक्त/ समायोजित कार्यालय परिचारी द्वारा प्रस्तुत कोई भी तथ्य/ सूचना भविष्य में असत्य/ भ्रामक पाये जाने पर उनकी सेवा को तत्क्षण समाप्त कर दिया जायेगा तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

3) उक्त नियुक्ति/ समायोजन के विरुद्ध योगदान के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4) उक्त पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र का सत्यापन हो चुका है। अतः संबंधित नव नियुक्त कार्यालय परिचारी के वेतन/भत्ता का भुगतान उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योगदान की तिथि से किया जायेगा।

ह0/-
जिलाधिकारी
सारण, छपरा

ज्ञापांक-...1039.../स्था0, छपरा **दिनांक-**...11/09/2020

प्रतिलिपि :- निदेशक, जन शिक्षा सह अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय पत्रांक-13/मु0 10-06/2010(अंश-IV) 421 दिनांक-25.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा/ कोषागार पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, सारण, छपरा को सारण जिला के वेबसाईट https://saran.nic.in पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री राज नारायण यादव, पिता श्री चन्देश्वर यादव, ग्राम-रामगढ़ा टोले मर्दनपुर, पो0-रामगढ़ा, थाना-दरौंदा, जिला-सिवान, नव नियुक्त/ समायोजित कार्यालय परिचारी (पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

10/09/2020

जिलाधिकारी
सारण, छपरा